न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 556/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बाबूलाल पुत्र मुकनाराम 2. सत्यनारायण पुत्र मुकनाराम 3. विरमाराम पुत्र मुकनाराम 4. रूघाराम पुत्र मुकनाराम 5. जयसिंह पुत्र मुकनाराम 6. दलकी पत्नी मुकनाराम (जाति माली, निवासी परिहारों का बेरा, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर)		1. मलाराम पुत्र हजारीराम माली निवासी पुलिस थाने के पीछे, पीपाड शहर, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर 2. ओमप्रकाश पुत्र गिरधारीराम 3. ढगलाई बेवा गिरधारीराम 4. समुड़ी पुत्री गिरधारीराम 5. सुशीला पुत्री गिरधारीराम 6. लीलकी पुत्री गिरधारीराम 7. बेबली पुत्री गिरधारीराम जाति माली निवासी परिहारों का बेरा, पीपाड शहर, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर 8. गुटकी पुत्री हजारीराम 9. भेराराम पुत्र हजारीराम 10. कानाराम पुत्र हजारीराम 11. सोनाराम पुत्र हजारीराम 12. हीरकी पुत्री हजारीराम जाति माली, निवासी परिहारों का बेरा, पीपाड़ शहर, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर, नामान्तरकरण प्रकरण सं0 04/2013 दिनांक 14.9.15

उपस्थित–
1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट्स
2. श्री चेतनरामं जाखड़, श्री जगदीश प्रजापत वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री रामप्रकाश चौधरी, 2 से 4 व 6, 7
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 22.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण संख्या

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

04/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। (वसीयत प्रकरण सं0 02/99 ग्राम पीपाड़ शहर का नामान्तकरण सं0 2640 दिनांक 14.10.99)

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि खातेदार हजारीराम पुत्र जवानराम की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नं0 2609 रकबा 9.13 बीघा वसीयतनामा दिनांक 2.11.95 के आधार पर उसके पुत्र मुकनाराम तथा सोनाराम के पक्ष में हजारीराम के देहांत के उपरांत जरिये ना0क0सं0 2640 दिनांक 14.10.99 दर्ज हुई। जिसके विरूद्ध रेस्पो0–मलाराम द्वारा अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 175/05 में पारित निर्णय दिनांक 12.7.10 द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन ना0क0सं0 2640 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को मृतक खातेदार हजारीराम के विधिक वारिसान की जांच कर उनको सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित कराने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में हाल तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा दर्ज नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 4/13 में पारित निर्णय 14.9.15 द्वारा वादग्रस्त भूमि का ना0क0सं0 2609 स्व0 हजारीराम के विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपाड शहर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं शहादत प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया तथा रेस्पो0सं0 1 की ओर से पेश किये गये गवाहान से जिरह का अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन आदेश में किसी बिन्दू पर अपना कोई निश्कर्ष नही दिया गया और न कोई कारण दर्ज किए गये। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य पूर्व से ही सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है, जिसके चलते इस तरह का आदेश वाद बाहुल्यता को आमंत्रित करता है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह आवेदन किया था कि प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली तलब की जावे, जिसमें वसीयतनामा का मूल दस्तावेज विद्यमान है, परंतु तहसीलदार ने इस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नही दिया तथा मूल पत्रावली के अभाव में निर्णय पारित कर दिया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलाधीन आदेश रेस्पो0 के जबानी कथन के आधार पर पारित किया गया है, जो दस्तावेजी शहादत के विपरित है। स्वयं रेस्पो0 वसीयतनामें में साक्षी है व एक अन्य वाद में उसके द्वारा यह स्वीकारोक्ति है कि वसीयतनामा निष्पादित किया गया था व वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने विभिन्न न्यायालयों के निर्णय एवं अन्य तहरीरी दस्तावेज प्रस्तुत किए गये, जिन पर कोई विचार नही किया गया व उनका निर्णय में कोई उल्लेख नही किया गया। अपीलाधीन प्रकरण फैसले की स्टेज पर नही था, इसमें अपीलांट्स की ओर से शहादत पेश की जानी थी, इससे पूर्व ही गलत रूप से अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनने का उल्लेख कर निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पुश्तैनी है। उक्त भूमि को हडपने हेतु मुकनाराम व सोनाराम ने मिलकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्व0 हजारीराम की एक वसीयत तैयार की गई, जिसके आधार पर हजारीराम के देहांत के बाद बाले–बाले संपूर्ण भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया गया। जिसके विरूद्ध पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में उक्त ना0क0 निरस्त कर दिया गया था तथा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर नं. 109/08 बाद अनुसंधान वसीयत की जांच की गई। इसमें माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (व.ख.) बिलाड़ा द्वारा मुकदमा नं0 499/11 अनवान मलाराम बनाम सोनाराम में दिनांक 13.9.11 को पारित आदेश में उक्त फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के विरूद्ध सोनाराम, बाबूलाल, गुमनाराम, राधेश्याम के विरूद्ध धारा 420, 120बी भादस के अंतर्गत प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया है। रेस्पो0 द्वारा वर्ष 1999 से आज तक किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस अनुसंधान में मूल वसीयत पेश नही की गई है। अतः तहसीलदार पीपाड शहर द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में समस्त तथ्यों के विवेचन के उपरांत स्व0 हजारीराम के विधिक वारिसान के नाम वादग्रस्त खसरान की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार पीपाड शहर द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं. 4/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 पूर्ण विवेचन के साथ न्यायालय आदेश की पालना में पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा तहसीलदार पीपाड शहर द्वारा नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 04/2013 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2015 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

22.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर